न्यायालय सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) जायल जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार प्रथम आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या– 92/2018

1. श्रवण कुमार डिडेल पुत्र मदनलाल, जाति जाट,
2. दियालराम पुत्र मदनलाल, जाति जाट,
   निवासीगण रोल, तहसील जायल, जिला नागौर

..............वादी

बनाम

1. गौजीराम पुत्र मदनलाल, जाति जाट,
2. मदनलाल पुत्र गोमदराम, जाति जाट,
   निवासीगण रोल, तहसील जायल, जिला नागौर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

.... प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा खातेदारी व विभाजन,
अधीन धारा 88 व 53 राज. टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता– 1. वादी की ओर से जीयाराम गोदारा, एडवोकेट
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री शिवकुमार पाराशर एडवोकेट
3.प्रतिवादी संख्या 3 के ईकतरफा कार्यवाही है।

:: निर्णय ::

दिनांक –28.08.2019

वादीगण के वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार हैं कि वादीगण ने वाद पेश करते हुऐ कथन किया कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की पुतैनी भूमियां मौजा रोल तहसील जायल में खसरा नं. 1291 रकबा 8.19 बीघा, खसरा नं. 1292 रकबा 6.12 बीघा, खसरा नं. 1385 रकबा 4.04 बीघा, खसरा नं. 1395 रकबा 21.12 बीघा, खसरा नं. 1289 रकबा 13.01 बीघा तथा खसरा नं. 1290 रकबा 1.04 बीघा आई हुई है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का बराबर बराबर हिस्सा है। राजकीय रेकर्ड में भूमियां श्री मदनलाल

सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned by CamScanner

के नाम दर्ज है। इसलिए यह दावा वास्ते घोषणा खातेदारी के लिए पेश है। इनके अलावा मदनलाल के और कोई संतान नही है। अब वर्ष 2005 में आखातीज को पक्षकारान ने घरेलू तौर पर अपनी भूमियों का विभाजन कर लिया है जिसके अनुसार वादी संख्या 1 श्रवण कुमार के बंट में वादग्रस्त भूमि मौजा रोल के खेत खसरा नं. 1395 रकबा 21.12 बीघा में से 18 बीघा दक्षिणी भाग रखा है। वादी संख्या 2 दियालराम के बंट में मौजा रोल के खेत खसरा नं. 1395 रकबा 21.12 बीघा में से 3.12 बीघा उत्तरी भाग, खसरा नं. 1289 रकबा 13.01 बीघा तथा खसरा नं. 1290 रकबा 1.04 बीघा रखे गये है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मौजीराम तथा मदनलाल के शामलाती बंट में मौजा रोल के खेत खसरा नं. 1291 रकबा 8.19 बीघा, खसरा नं. 1292 रकबा 6.12 बीघा तथा खसरा नं. 1385 रकबा 4.04 बीघा रखे गये है। लेकिन इसके बाद भी इस विभाजन का अमल दरामद राजकीय रेकर्ड में नही हुआ है इसलिए यह दावा वास्ते विभाजन के लिए किया जा रहा है तथा राज्य सरकार ऐसे दावों मे आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार जायल को भी पक्षकार बनाया है।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री शिवकुमार पाराशर अधिवक्ता ने वकालत नामा मय ईकबाली जवाब दावा पेश कर वाद से सहमति जताई तथा प्रतिवादी 3 के बावजूद तामील गैर हाजिर रहने तथा से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। साक्ष्य वादी में शपथ पत्र वादी दियालराम का, तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल खतौनी संवत 2070 से 2073 प्रदर्श 1 व 2 पेश की गई। तथा साथ ही ग्राम पंचायत रोल का प्रमाण पत्र तथा बैंक का नो डयूज प्रमाण पत्र भी पेश किये। तथा वकील वादीगण ने साक्ष्य बंद की।

बहस वकील वादीगण की ईकतरफा सुनी गई। जिन्होने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजो से वादी के वाद की पूर्णतया ताईद होती है। तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

1. कि यह घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि मौजा रोल तहसील जायल में खसरा नं. 1291 रकबा 8.19 बीघा, खसरा नं. 1292 रकबा 6.12 बीघा, खसरा नं. 1385 रकबा 4.04 बीघा, खसरा नं. 1395 रकबा 21.12 बीघा, खसरा नं. 1289 रकबा 13.01 बीघा तथा खसरा नं. 1290 रकबा 1.04 बीघा वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की है।
2. कि उपरोक्त भूमि का विभाजन पक्षकारों के बीच करते हुऐः–
   1. वादी संख्या 1 श्रवण कुमार के बंट में वादग्रस्त भूमि मौजा रोल के खेत खसरा नं. 1395 रकबा 21.12 बीघा में से 18 बीघा दक्षिणी भाग घोषित किया जाता है।
   2. वादी संख्या 2 दियालराम के बंट में मौजा रोल के खेत खसरा नं. 1395 रकबा 21.12 बीघा में से 3.12 बीघा उत्तरी भाग, खसरा नं. 1289 रकबा 13.01 बीघा तथा खसरा नं. 1290 रकबा 1.04 बीघा घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)
जायल,जिला नागौर

Scanned by CamScanner

3. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मौजीराम तथा मदनलाल के शामलाती बंट में मौजा रोल के खेत खसरा नं. 1291 रकबा 8.19 बीघा, खसरा नं. 1292 रकबा 6. 12 बीघा तथा खसरा नं. 1385 रकबा 4.04 बीघा घोषित किये जाते है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल।
जायल.जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक28 .01.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जायल।
जायल.जिला नागौर

Scanned by CamScanner